सॅख्याः / XXIV–2/2005

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तरॉचल शासन

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरॉचल, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून दिनॉक 28 फरवरी ,2005

विषयः बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न मदों में पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः अर्थ–1/41571/पु0विनियोग/2004–05 दिनॉक 5 फरवरी, 2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 में सलग्न बी.एम. –15 में उल्लिखित विवरणानुसार बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के संचालन हेतु आयोजनागत पक्ष में रू0 230.00 लाख एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 318.00 लाख, कुल रू0 548.00 लाख (रूपये पॉच करोड़ अड़तालिस लाख मात्र) की धनराशि को पुर्नविनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत की जा रही धनराशि को नियोजन विभाग द्वारा संबंधित योजनाओं में आवंटित परिव्यय सीमा तक ही व्यय को सीमित रखे जाने का दायित्व शिक्षा निदेशक का होगा।

3– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग चालू वर्ष की नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नहीं किया

जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/ शासनादेशों के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जायेगाः–

1– योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा तथा जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति / स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवयल के नियमों के अन्तर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

3– अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाय।

4– आवंटनों के अनुसार आहरित व्यय के विवरण निर्धारित तिथि तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाय। इसी प्रकार व्यय के संबंध में व्ययाधिक्य एवं बचतों के विवरण शासन को निर्धारित अवधि के अन्दर उपलब्ध करा दिये जाय।

5– मितव्ययता के संबंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

4– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या– 11 के अधीन लेखा शीर्षक " 2202–सामान्य शिक्षा–आयोजनागत/आयोजनेत्तर– के अधीन संलग्नक बी.एम.–15 में उल्लिखित संबंधित ब्यौरेवार शीर्षक/ सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 412/वित्त/05 दिनॉक 25/7/05 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

संलग्नक– बी0एम0–15 प्रपत्र।

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्याः 221 (1)/XXIV–2/2005 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरॉचल, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
4– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरांचल।
5– समस्त कोषाधिकारी, उत्तरॉचल।
6– वित्त विभाग/ नियोजन प्रकोष्ठ।
7– कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग)।
8– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

संलग्नक– बी0एम0–15 प्रपत्र।

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त संसाधन विकास विभाग
संख्याः 412 / वि0अनु0–4 / 2005
देहरादून दिनॉक 25 फरवरी,2005

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

25/4/2005
(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव

सेवा में,

शिक्षा निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तरांचल, देहरादून।

संख्याः 221 (2)//XXIV-2/2005 / तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–4।
4– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

प्रपत्र -बी.एम0-15 पैरा 156

नियन्त्रक अधिकारी-अपर मुख्य सचिव प्रशासनिक विभाग-मानव संसाधन विभाग धनराशि हजार में। आयोजनागत

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्या धिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानातन्तरित धनराशि।	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ 1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2202-सामान्य शिक्षा				2202-सामान्य शिक्षा			
02-माध्यमिक शिक्षा (आयोजनागत)				02-माध्यमिक शिक्षा(आयोजनागत)			
101 निरीक्षण -				109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
04. विकास खण्ड स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना				05-नये राजकीय हाईस्कूलों की स्थापना तथा राजकीय जू0हा0स्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर क्रमोन्नयन			
01-वेतन 30000	4278	9722	16000	01-वेतन 10000	90000	14000	
06- अन्य भत्ते 4125	418	1707	2000	03-महगाई भत्ता 12200	29000	2125	
48- मंहगाई वेतन 15000	1912	8088	5000			10000	
				110- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयो को सहायता			
				04- अशासकीय माध्यमिक विद्यालयो को सहायता-			
				0103- सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो मे अतिरिक्त वेतन भुगतान हेतु अनुदान			
				43-वेतनभत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान 800	5800		
सम्पूर्ण योग- 49125	6608	19517	23000	23000	124800	26125	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैन्यूवल के परिच्छद 150,151,155,156 का उल्लेघन नही होता है।

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव

प्रपत्र–बी०एग०–15 (पैरा–156)

नियत्रंक अधिकारी अपर मुख्य सचिव प्रशासकीय विभाग मानव संसाधन विभाग

वित्तीय वर्ष– 2004–05 अनुदान संख्या–11 (धनराशि हजार रुपये में) आयोजनेतर

बजट प्राविधान तथा लेखा शीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2202–सामान्य शिक्षा				2202–सामान्य शिक्षा			
02–माध्यमिक शिक्षा				01–प्रारम्भिक शिक्षा			
109–राजकीय माध्यमिक विद्यालय				0102–अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
03–बालक एवं बालिका				07–विद्यालयो और सहायता प्राप्त जू०हा०वि०एव के०जी० नर्सरी विद्यालयों को सहायता –			
01– वेतन 2000000	1369521	600479	30000	0702–सहायता प्राप्त जू०हा०स्कूल एव के०जी० नर्सरी विद्यालयों को सहायता–		1970000	
45– अवकाश यात्रा व्यय–2000	60	140	1800	43– वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान– 30000	260000	200	
				02–माध्यमिक शिक्षा–			
				109– राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
				03–बालक एव बालिका			
				04– यात्रा व्यय – 700	6700		
				08–कार्यालय व्यय–> 500	6500		
				09– विद्युत देय–> 500	1500		
				42 अन्य व्यय–>100	200		
सम्पूर्ण योग– 2002000	1369581	600619	31800	31800	274900	1970200	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैन्यूवल के परिच्छेद 150,151,155,156 का उल्लंघन नही होता है।

(राजन्द्र सिंह)
उप सचिव